बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी

दिनांक-:-**12/05/2022**

प्रेषक,

सी०पी०खंडूजा,
आयुक्त मनरेगा।

सेवा में,

श्री रोहित कुमार,
संयुक्त सचिव,
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कमरा सं० 473, कृषि भवन,
नई दिल्ली।

विषय : PMAY (G) के लाभुकों को महात्मा गांधी नरेगा से दिए जाने वाले मानव दिवस के संबंध में।

प्रसंग : (1) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक M-13011/01/2016-RH -Part(3) दिनांक 16.09.2021
(2) विभागीय पत्रांक 761944 दिनांक 15-02-2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण से दिए जाने वाले 90/95 मानव दिवस के लिये eMR निर्गत करने की प्रक्रिया को PMAY-G अंतर्गत दिए जाने वाले किस्तों से विमुक्त किया गया है तथा आवास लाभुकों को मनरेगा से दिए जाने वाले 90/95 मानव दिवस को दो चरणों में दिए जाने का दिशा निदेश दिया गया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के विभागीय पत्रांक 761944 दिनांक 15-02-2022 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों को महात्मा गांधी नरेगा से देय 90/95 मानव दिवस को दो चरणों में दिए जाने हेतु संशोधित दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है (सुलभ प्रसंग हेतु पत्र की प्रति संलग्न है)। संशोधित दिशा-निर्देश के अनुसार प्रथम चरण में आवास सॉफ्ट पर स्वीकृति से प्लिन्थ लेवल के बीच 28 मानव दिवस का भुगतान किया जाना है एवं दूसरे चरण में प्लिन्थ लेवल से आवास सॉफ्ट से पूर्णता के बीच 62/67 (IAP जिलों के लिये 67 एवं Non IAP जिलों के लिये 62) मानव दिवस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। परंतु संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार नरेगा सॉफ्ट में आवश्यक प्रावधान नहीं किया गया है जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों का नरेगासॉफ्ट में कार्य आवंटन किए जाने में समस्या आ रही है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है की संशोधित दिशा-निर्देश के अनुरूप नरेगासॉफ्ट में आवश्यक परिवर्तन करने की कृपा की जाये, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लाभूकों को सुगमता से देय मानव दिवस उपलब्ध कराया जा सके।

अनुलग्नक:- **यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

Signed by C P Khanduja
Date: 12-05-2022 14:52:20
Reason: Approved

(सी०पी० खण्डूजा)
आयुक्त, मनेरगा।

प्रतिलिपि : श्री धर्मवीर झा, निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 761994 पटना, दिनांक:- 15/02/2022

ग्रा०वि०-5/ई०आ०यो०(मनरेगा अभिसरण)-102-11/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी

सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी उप विकास आयुक्त, बिहार ।

विषय:- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभुकों को महात्मा गाँधी नरेगा के अभिसरण से अकुशल मजदूरी भुगतान के संबंध में ।**

प्रसंग -: 1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक- M-13011/01/2016-RH-Part(3) दिनांक 16.09.2021

2. बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी का पत्रांक I/14861, दिनांक 21.12.2021

3. ग्रामीण विकास विभाग का विभागीय पत्रांक 702144 दिनांक 11.01.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभुकों को आवास निर्माण हेतु महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण से 90/95 मानव दिवस (IAP जिलों के लिए 95 तथा Non IAP जिलों के लिए 90 मानव दिवस) की मजदूरी के भुगतान का प्रावधान है। उक्त मानव दिवस का ससमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु बी०आर०डी०एस० के पत्रांक 771, दिनांक 25.04.2020 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में निर्गत किया गया है । निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु तीन किस्तों में सहायता राशि का भुगतान किया जाता है तथा तदनुसार ही महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मस्टर रौल निर्गत होता है ।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नरेगा सॉफ्ट पर भी मस्टर रोल निर्गत करने की प्रक्रिया को आवास सॉफ्ट की किस्तों की संख्या से जोड़ दिया गया था, जिसके कारण आवास लाभार्थियों को 90/95 मानव दिवस के भुगतान में कठिनाई हो रही थी ।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र द्वारा मस्टर रोल निर्गत करने की प्रक्रिया को आवास सॉफ्ट पर लाभुक को दिए गए किस्तों की संख्या से असंबद्ध(Delink) कर दिया गया है और व्यवस्था की गयी है कि आवास सॉफ्ट पर आवास पूर्ण किये जाने के पश्चात मस्टर रोल निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवास लाभुकों को महात्मा गाँधी नरेगा से दिए जाने वाले 90/95 (IAP जिलों को 95 मानव दिवस) मानव दिवस को दो चरणों में दिए जाने का निदेश है ।

3. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवास निर्माण हेतु महात्मा गाँधी नरेगा से दिए जाने वाले 90/95 मानव दिवस (IAP जिलों के लिए 95 तथा Non IAP जिलों के लिए 90 मानव दिवस) को दो चरणों में दिए जाने हेतु बी०आर०डी०एस के कार्यालय पत्रांक I/14861, दिनांक 21/12/2021 तथा ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 702144 दिनांक 11 जनवरी 2022 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं । कतिपय तकनीकी कारणों से उक्त निर्गत निदेश को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

IAY 35606

2022 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं । कतिपय तकनीकी कारणों से उक्त निर्गत निदेश को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

प्रथम चरण (आवास सॉफ्ट पर स्वीकृति से प्लिंथ लेवल तक) :-

आवास सॉफ्ट पर लाभुक के आवास की स्वीकृति के साथ ही कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा नरेगा सॉफ्ट पर 28 दिनों (IAP जिलों तथा Non IAP जिलों दोनों के लिए) के लिए निम्न प्रकार मस्टर रोल निर्गत किये जायेंगे:-

- **प्रथम चरण में देय 28 मानव दिवस के लिए 14-14 दिनों के 2 मस्टर चक्र के लिए एक साथ eMR निर्गत किये जायेंगे तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवास निर्माण प्लिंथ लेवल तक किये जाने के पूर्व 28 मानव दिवस की मजदूरी का भुगतान लाभुक को कर दिया गया है ।**

द्वितीय चरण (आवास के प्लिंथ लेवल से आवास सॉफ्ट पर पूर्णता के पूर्व) :-

आवास के प्लिंथ लेवल तक पूर्ण होने के पश्चात Non IAP जिलों के लिए अवशेष 62 दिन तथा IAP जिलों के लिए अवशेष 67 दिनों के लिए मस्टर रोल निम्न प्रकार निर्गत किये जायेंगे :-

- **कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा एक साथ 14-14 दिनों के दो मस्टर चक्र के लिए eMR निर्गत किया जायेगा ।**
- **द्वितीय मस्टर चक्र की समाप्ति के 7 दिनों के अन्दर एक साथ 14-14 दिनों के अगले दो मस्टर चक्र (तीसरे तथा चौथे मस्टर चक्र) के लिए eMR निर्गत किया जाएगा ।**
- **चौथे मस्टर चक्र की समाप्ति के 7 दिनों के अंदर-पांचवे मस्टर चक्र के लिये Non IAP जिलों के लिए 6 दिन तथा IAP जिलों के लिए 11 दिन के लिए eMR निर्गत किया जाएगा ।**
- **कार्यक्रम पदाधिकारी आवास सॉफ्ट पर आवास की पूर्णता के पूर्व लाभुक को महात्मा गाँधी नरेगा से दिए जाने वाले 90/95 मानव दिवस (IAP जिलों तथा Non IAP जिलों) के लिए eMR निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे ।**

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किये गये नए प्रावधान के अनुसार आवास सॉफ्ट पर लाभुक के आवास की पूर्णता के पश्चात महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत नरेगा सॉफ्ट पर eMR जारी नहीं किया जा सकेगा। अतः आवास योजना के लाभुकों को महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस के लिये eMR आवास सॉफ्ट पर आवास की स्वीकृति के साथ ही बिना विलंब के निर्गत किया जाना आवश्यक है । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आवास सॉफ्ट पर आवास पूर्ण करने के पूर्व अनुमान्य 90/95 मानव दिवस का मस्टर रोल निर्गत कर लिया गया है।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत अकुशल मजदूरी भुगतान हेतु निर्गत eMR को zero attendance muster roll के रूप में mark नहीं किया जायेगा ताकि लाभुकों को 90/95 मानव दिवस का भुगतान ससमय किया जा सके। आवास सॉफ्ट पर आवास की स्वीकृति प्रदान किये जाने के पश्चात महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मानव दिवस दिए जाने हेतु eMR निर्गत किये जाने में विलम्ब किये जाने से लाभुक को देय मानव दिवस नहीं दिए जाने की

स्थिति में सम्बंधित कर्मी/पदाधिकारी इसके लिए जबाबदेह होंगे तथा इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानूकुल कार्रवाई की जायेगी।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों को महात्मा गाँधी नरेगा के अभिसरण से देय 90/95 मानव दिवस को ससमय उपलब्ध करने के लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा कार्यक्रम पदाधिकारी के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। इस हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी आवास सॉफ्ट पर लाभुकों के आवास की स्वीकृति आदेश (sanction order) की प्रति के साथ ही लाभुक के बैंक खाता सम्बन्धी आवश्यक सूचनायें है अविलंब कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि कार्यक्रम पदाधिकारी सम्बंधित योजनाओं को नरेगा सॉफ्ट पर प्रारंभ कर अकुशल मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कर सके।

7. उप विकास आयुक्त प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा कार्यक्रम पदाधिकारी के बीच सूचनाओं की उपलब्धता तथा समन्वय का सतत् अनुश्रवण करेंगे ताकि आवास योजना के लाभुकों को महात्मा गाँधी नरेगा के अभिसरण से देय 90/95 मानव दिवस की मजदूरी लाभुकों को ससमय उपलब्ध कराया जा सके।

8. प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त sanction order की प्रति में अंकित लाभुक के जॉब कार्ड संख्या का मिलान कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा नरेगा सॉफ्ट से कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभुक के सही जॉब कार्ड की प्रविष्टि की गयी हैं अथवा नहीं। लाभुक के जॉब कार्ड सम्बन्धी किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर विभागीय पत्रांक 438514, दिनांक 28.08.2019 द्वारा निर्गत निदेशानुसार कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को सही सूचना देते हुए आवास सॉफ्ट पर जॉब कार्ड संख्या संशोधित कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. कार्यक्रम पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि लाभुक के परिवार में लाभुक के अतिरिक्त 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सदस्यों की संख्या एक से अधिक है, जो लाभुक के साथ गाँव में रहते हैं, तो उन इच्छुक सदस्यों का नाम लाभुक के जॉब कार्ड में सदस्य के रूप में जोड़ते हुए उनका भी eMR निर्गत किया जायगा, जिससे प्रथम चरण में 5 से कम मस्टर चक्र में ही 70 मानव दिवस दिया जाना सुनिश्चित हो सके।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभुकों को मनरेगा के अभिररण से अनुमान्य मानव दिवस का सृजन कर ससमय मजदूरी भुगतान हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जाय। इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी पत्र इस हद तक संशोधित समझा जाय।

<u>अनुलग्नकः यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन

15/2/2022

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 7-61994 पटना, दिनांक:- 15/02/2022

प्रतिलिपिः- आयुक्त मनरेगा-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बी०आर०डी०एस०/IT Manager, ग्रामीण विकास विभाग/Director IT & eGovernence, BRDS को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/2/2022

सरकार के प्रधान सचिव

IAY 35606